HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 562/2021

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

Future General India Insurance Company Limited, Having Its Registered Office At - Sixth Floor Tower-3, Industrial Finance Center, Senapati Boss Marg, Mumbai, Maharashtra-400013, And Having Its Regional Office At 2Nd Floor, Royal World, Opp. City Center, S.c. Road, Jaipur-302001 Through Its Constituent Attorney.

----Appellant

Versus

1. Smt. Meenakshi Suman W/o Late Mukesh, Aged About 34 Years, R/o Gokul Colony, Theygda, Borkeda, Ward No. 11, Kota.
2. Anish S/o Late Mukesh, Aged About 10 Years, Being Minor Represented Through Natural Guardian Mother Smt. Meenakshi Suman.r/o Gokul Colony, Theygda, Borkeda, Ward No. 11, Kota.
3. K.s. Oil Ltd., Through General Manager, Bara Road, Tathed Tehsil - Digod, District - Kota.

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Chanderdeep Singh Jodha, Adv. Mr. Dhirendra Pratap Singh, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Shailesh Kumar Panwar, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

REPORTABLE **Date: 19/02/2026**

अपीलार्थी–बीमा कम्पनी की ओर से यह अपील धारा–30 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (आगे ''अधिनियम–1923'' कहा जावेगा) के तहत विद्वान न्यायालय आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, कोटा द्वारा प्रकरण J.L.C./F/32/2016 में पारित निर्णय

(Uploaded on 23/02/2026 at 04:59:10 PM)
(Downloaded on 23/02/2026 at 10:47:26 PM)

दिनांक 05.02.2021 से व्यथित होकर पेश की है जिसके माध्यम से निम्न आदेश पारित किया है–

> ''परिणामस्वरूप प्रार्थी पक्ष का क्लेम आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 को आदेश दिये जाते हैं कि वे संयुक्ततः एवं पृथकतः निर्णय दिनांक से 60 दिवस की अवधि के अन्दर प्रार्थी पक्ष को भुगतान व विनियोजन करने हेतु क्षतिपूर्ति राशि 5,92,184/– रूपये तथा इस क्षतिपूर्ति राशि पर दुर्घटना तिथि 18.02.2015 से ताअदायगी तक 12 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज (लॉक डाउन क दिनांक 21.03.2020 से 31.05.2020 तक छोडकर) इस न्यायालय में जमा कराये। साथ ही प्रतिपक्षी संख्या 1 पर क्षतिपूर्ति राशि का 20 प्रतिशत राशि बतौर पेनल्टी अधिरोपित की जाती है।''

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–बीमा कम्पनी का निवेदन है कि यद्यपि उनके द्वारा अपील एक से अधिक आधारों पर प्रस्तुत की गयी है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय North East Karnataka Road Transport Corporation Vs. Smt. Sujatha (2019) 11 SCC 514 में प्रतिपादित व्यवस्था को देखते हुए वे मात्र विधि के सारवान प्रश्न पर अपनी अपील को सीमित रखते हैं और इस संदर्भ में यह निवेदन किया कि मृतक के नियोजक अर्थात प्रत्यर्थी संख्या–3 के द्वारा अपीलार्थी के यहां जो बीमा पॉलिसी ली गयी थी, उसमें अनुबंध के तहत ब्याज के दायित्व से अपीलार्थी–बीमा कम्पनी को स्पष्ट रूप से मुक्त रखा गया था, लेकिन इस तथ्य पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विचार किये बिना ही अनावश्यक रूप से ब्याज की राशि का दायित्व भी बीमा कम्पनी पर अधिरोपित किया है जो विधि–सम्मत नहीं है और इस सीमा तक अपीलाधीन आदेश/निर्णय को उपान्तरित किये जाने का निवेदन किया।

(Uploaded on 23/02/2026 at 04:59:10 PM)
(Downloaded on 23/02/2026 at 10:47:26 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी–दावेदारों का निवेदन है कि प्रतिकर राशि पर ब्याज का दायित्व भी नियोजक के साथ–साथ बीमा कम्पनी का है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधि–सम्मत व तथ्यों के अनुरूप है जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–बीमा कम्पनी तथा प्रत्यर्थी की बहस सुनी गयी, अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी संख्या–3 के द्वारा अपीलार्थी से जो बीमा पॉलिसी प्राप्त की गयी थी, उसमें यह स्पष्ट रूप से तय हुआ है कि ''अधिनियम–1923'' के तहत प्रतिकर पर ब्याज हेतु बीमा कम्पनी दायित्वाधीन नहीं है और इस दायित्व से बीमा कम्पनी को मुक्त रखा गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी–दावेदारों की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Alok Kumar Ghosh Vs. The New India Assurance Company Ltd and Ors. Manu/SC/1435/2025 तथा इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा एकलपीठ दीवानी विविध अपील संख्या 736/2020 Eita India Limited & Anr. Vs. New India Assurance Company Ltd & Ors. के मामले में पारित आदेश दिनांक 04.02.2025 पर आधारित किया, जिनका अवलोकन किया गया। उपरोक्त दोनों निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां नियोजक ने अपने दायित्व की प्रतिपूर्ति हेतु बीमा पॉलिसी ले रखी हैं तो प्रतिकर का दायित्व नियोजक के साथ–साथ बीमा कम्पनी का भी बीमा पॉलिसी के अनुसार होगा।

(Uploaded on 23/02/2026 at 04:59:10 PM)
(Downloaded on 23/02/2026 at 10:47:26 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT

Rajasthan High Court सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त P.J. Narayan Vs. Union of India And Ors. 2006 (5) SCC 200 में यह व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि बीमा कम्पनी ब्याज का दायित्व भी आवश्यक रूप से लेवे, ऐसा निर्देश नहीं दिया जा सकता, यह संविदात्मक दायित्व है जिसमें दोनों पक्ष परस्पर शर्त तय करते हैं। न्यायिक निर्णय The Managing Director, Kunnel Engineers and Contractors Pvt. Ltd. Vs. The Divisional Manager, The New India Assurance Company Ltd. & Anr. 2023 (15) SCC 776 तथा New India Assurance Company Ltd. Vs. Harshadbhai Amrutbhai Modhiya & Anr. 2006 (5) SCC 192 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि जहां नियोजक और बीमा कम्पनी के बीच निष्पादित पॉलिसी में बीमा कम्पनी को की गयी संविदा के माध्यम से ब्याज के दायित्व से मुक्त रखा गया है तो ऐसी स्थिति में ''अधिनियम–1923'' के तहत अवार्ड किये जाने वाले प्रतिकर पर ब्याज का दायित्व बीमा कम्पनी पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता और ऐसी स्थिति में ब्याज राशि के संबंध में दायित्व अकेले नियोजक का होगा। The Managing Director, Kunnel Engineers and Contractors Pvt. Ltd. (Supra) के पैरा संख्या 14 व 15 सुसंगत हैं जो निम्नानुसार हैं–

> **"14.** In view of the foregoing discussion and having regard to the exception clause incorporated in the insurance contract between the employer and the insurance company as extracted above, we see no infirmity with the view taken by the High Court in declaring that the insurer is not liable to satisfy the interest component payable by the

(Uploaded on 23/02/2026 at 04:59:10 PM)
(Downloaded on 23/02/2026 at 10:47:26 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT

> employer, in terms of the award of the Commissioner.
>
> **15.** The employer is therefore required to satisfy the balance sum payable towards the interest component and we see no reason to disturb such finding of the High Court. The appeal accordingly stands dismissed."

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत निर्णयों में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार यह स्पष्ट है कि ''अधिनियम–1923'' के तहत अपने कर्मचारियों के लिए प्रतिकर का दायित्व प्रारम्भिक रूप से नियोजक का है, लेकिन ऐसे जोखिम के संबंध में नियोजक द्वारा बीमा कम्पनी से बीमा करवा रखा है तो पॉलिसी में वर्णित शर्तों के अधीन बीमा कम्पनी भी समानान्तर रूप से दायित्वाधीन होगी। जैसा कि ऊपर विवेचन किया गया है कि वर्तमान मामले में नियोजक और बीमा कम्पनी के बीच पॉलिसी के रूप में जो संविदा हुई है उसमें ब्याज के दायित्व से अपीलार्थी–बीमा कम्पनी को मुक्त रखा गया है, अत : ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार बीमा कम्पनी ब्याज राशि के लिए दायित्वाधीन नहीं है।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पॉलिसी की शर्तों पर विचार किये बिना ही ब्याज के संबंध में भी बीमा कम्पनी को दायित्वाधीन होना अभिनिर्धारित किया गया है जो निष्कर्ष पूर्णतः तथ्यों के विपरीत होकर मनमाना (Perverse) और अनुचित है और इस दृष्टिकोण से विधि का सारवान प्रश्न अन्तर्वलित होने से ''अधिनियम–1923'' की धारा–30 के प्रावधानों को देखते हुए यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार होने योग्य है।

(Uploaded on 23/02/2026 at 04:59:10 PM)
(Downloaded on 23/02/2026 at 10:47:26 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT

Rajasthan High Court सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी–बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.02.2021 को उपान्तरित करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि प्रतिकर की राशि पर देय ब्याज के बाबत् अपीलार्थी–बीमा कम्पनी का दायित्व नहीं होगा तथा इस राशि हेतु अकेले नियोजक को ही दायित्वाधीन माना जाता है। ब्याज की राशि दावेदार, नियोजक से वसूल करने हेतु अधिकृत होंगे। इसी उपान्तरण के साथ शेष अपीलाधीन निर्णय की पुष्टि की जाती है।

ब्याज की राशि बीमा कम्पनी द्वारा यदि विचारण न्यायालय में जमा करायी गयी है, वह अपीलार्थी–बीमा कम्पनी वापिस प्राप्त करने की अधिकारी होगी।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख इस आदेश की प्रति के साथ वापिस लौटाया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /39

(Uploaded on 23/02/2026 at 04:59:10 PM)
(Downloaded on 23/02/2026 at 10:47:26 PM)